(1)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन
मंत्रालय–नया रायपुर

क्रमांक 272/आर–30/कं–00076/2013/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 14/05/2013
प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषयः– **छत्तीसगढ वित्त लेखे 2012–13 में शामिल किए जाने हेतु जानकारी ।**

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ–83/2012–13/199 दिनांक 01.05.2013 संलग्नकों सहित संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया राज्य वित्त लेखे वर्ष 2012–13 में शामिल किए जाने हेतु चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सी.जे.खत्री) 13/5/13
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 273/आर–30/कं–00076/2013/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 14/05/2013
प्रतिलिपि–

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ–83/2012–13/199 दिनांक 01.05.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

\D:\Sunil Mishra\Gen. Correspon Part 3.doc- 5 -

क्रमांक/रिपोर्ट (वित्त)/एफ–83/2012–13/199

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

सत्यमेव जयते

दिनांक :
Date : 1.5.2013

प्रति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर–492002

विषय : राज्य वित्त लेखे 2012–13 हेतु जानकारी बाबत।

महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त लेखे तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित किया जाना है :–

1) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि/कमी की जानकारी। **(प्रपत्र–I)**

2) राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि/कमी की जानकारी। **(प्रपत्र–II)**

3) पदार्थ/वस्तु के रूप में दिये गये सहायता अनुदान की जानकारी। **(प्रपत्र–III)**

4) राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों की जानकारी। **(प्रपत्र–IV)**

5) ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी। **(प्रपत्र–V)**

6) शासकीय लेखे से बाहय परिचलित राशियॉं। **(प्रपत्र–VI)**

7) कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशियॉं। **(प्रपत्र–VII)**

8) 31 मार्च की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया देयको से संबंधित राशियॉं। **(प्रपत्र–VIII)**

9) पंचायती राज संस्थाओं को बकाया अनुदान की राशि। **(प्रपत्र–IX)**

10) दिनांक 31 मार्च की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशियॉं। **(प्रपत्र–X)**

11) पूंजीगत संपत्ति निर्माण करने हेतु दी गई सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets) **(प्रपत्र–XI)**

12) राज्य शासन के स्वीकृत पद तथा इनके विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। **(प्रपत्र–XII)**

उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु समस्त विभाग प्रमुख एवं बजट नियंत्रण अधिकारियो से निवेदन किया गया है।

09 MAY 2013

निरन्तर....2

उपरोक्त जानकारी से संबंधित प्रपत्र तथा विभाग प्रमुख एवं बजट नियंत्रण अधिकारी की सूची संलग्न कर निवेदन है कि वित्त लेखे 2012–13 से संबंधित जानकारी इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु समस्त विभाग प्रमुख एवं नियत्रण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

[signature] 1/5/13

उपमहालेखाकार (लेखा)

संलग्न–उक्तानुसार (18) प्रपत्र एवं -
- सूची (3) पृष्ठ

प्रपत्र – I

राजस्व प्राप्तियॉं में वृद्धि / कमी की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

मुख्य शीर्ष	योजना कमाक	वर्ष 2011–12 का राजस्व प्राप्तियॉं	वर्ष 2012–13 का राजस्व प्राप्तियॉं	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
1	2	3	4	5 (3-4)	6

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम
कार्यालय का पता
दूरभाष कमांक
मोबाईल कमांक
फैक्स न.

प्रपत्र–III

पदार्थ/वस्तुओ के रुप मे प्रदत सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

ग्रांटी संस्थायें	लेखाशीर्ष (मुख्य शीर्ष से उप–विस्तृत शीर्ष तक) जिसमे वस्तुओ के रुप मे प्रदत्त सहायता अनुदान की राशी दर्ज की गयी है	वर्ष 2012–13 में वस्तुओं के रुप मे प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य
1.पंचायती राज संस्थायें		
(i) जिला पंचायत		
(ii) जनपद पंचायत		
(iii) ग्राम पंचायत		
2. शहरी स्थानीय निकाय		
(i) नगर निगम		
(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद		
(iii) अन्य		
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम		
(i) शासकीय कम्पनियॉ		
(ii) सांविधिक निगम		
4. स्वशासी निकायें		
(i) विश्वविद्यालय		
(ii) विकास प्राधिकारण		
(iii) सहकारी संस्थाएं		
(iv) अन्य		
5. अशासकीय संस्थाएं		
योग		

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम
कार्यालय का पता
दूरभाष कमांक
मोबाईल कमांक
फैक्स न.

टीप :– वस्तुओ के रुप मे प्रदत्त सहायता अनुदान के अन्तरर्गत निशुल्क सायकल प्रदाय योजना, निशुल्क पुस्तके एवं गणवेश प्रदाय, लेप्टॉप/टेबलेट ईत्यादि से संबंधित व्यय की जानकारी देवे। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन से प्राप्त सामग्री/पदार्थ जैसे–दवाईयॉ इत्यादि जो विभाग द्वारा वितरित किया गया है को भी सम्मिलित किया जावे।

प्रपत्र IV

Statement on Committed Liabilities of the State in future

(As on 31-03-2013)

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(figures in actual)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount (₹ in Lakh)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Accounts Payable(*)**								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
II	**State's Share in Centrally Sponsored Scheme**								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
III	**Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads**								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
IV	**Liabilities arising from Incomplete Projects**								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
V	**Others/Miscellaneous**								
1.									
2.									
3.									
4.									
Grand Total									

* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accured debt, bills pending for payments etc.

Name of Budget controlling office
Office Address
Fax No.
Mo. No.
Ph.no.

प्रपत्र - V

Detail of Off Budget Liabilities as on 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Nature of Off Budget Liabilities, if any ऑफ बजट दायित्वों की प्रकृति, यदि कोई हो	**Amount of Liability as on 31-03-2013** दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में दायित्वों की राशि	**Year Wise Break up of amount** राशि का वर्षवार विवरण	**Remarks (if any)** अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature and Seal of Department concerned
Phone No./Fax No.
Official Address

प्रपत्र - VI

Details of Funds operated outside Government Accounts

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

Figures in actual

Name of the Department	Name of the Regulatory authority/agency/bodies	Amount not credited to Government account as on 31-03-2013.

Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

(5)

प्रपत्र–VII-i

TAX REVENUE RAISED BUT NOT REALISED AS ON 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 को वसूली हेतु बकाया कर राजस्व

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

Figures in actual

Major Head मुख्यशीर्ष	Descrip-tion विवरण	Amount under Dispute विवाद के अधीन राशि					Amounts not under dispute अविवादित राशि					Grand Total महायोग	Remarks (if any) अभ्युक्ति
		Over 1 year but less than 2 year एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	Over 2 year but less than 5 year दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	Over 5 year but less than 10 year पांच वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष से कम	Over 10 year दस वर्ष से अधिक	Total योग	Over 1 year but less than 2 year एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	Over 2 year but less than 5 year दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	Over 5 year but less than 10 year' पांच वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष से कम	Over 10 year दस वर्ष से अधिक	Total योग	(7+12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	(14)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

Signature of Head of Department

Phone No. and Fax No.

Official Address

प्रपत्र VII-ii

ARREARS OF NON TAX REVENUE AS ON 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 को वसूली हेतु बकाया करेत्तर राजस्व

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Major Head and Description मुख्यशीर्ष एवं विवरण	0-1 year 0 से 1 वर्ष	1-2 year 1 से 2 वर्ष	2-3 year 2 से 3 वर्ष	3-5 year 3 से 5 वर्ष	Above 5 years 5 वर्ष के ऊपर	Total योग	Remarks (if any) अभ्युक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

प्रपत्र - VIII

Liability on Account of Unpaid Bills as on 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 को भुगतान हेतु लम्बित देयको की जानकारी

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Name of the Department	Amount of bill received up to 31-03-2013 but not paid दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त लेकिन भुगतान नहीं किये गये देयको की राशि	Reasons for non – payment भुगतान नहीं किये जाने के कारण	Major Head in which the amount of unpaid bill is to be debited during 2013-14 लम्बित देयको को वर्ष 2012–13 के दौरान डेबिट किये जाने वाले मुख्यशीर्ष की जानकारी	Remarks if any अभ्यूक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

प्रपत्र - IX

Arrears of Grants to Panchayati Raj Institutions as on 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के बकाया की जानकारी

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(₹ वास्तविक राशि)

Name of Zilla Panchayat जिला पंचायत का नाम	**Name of the Scheme** योजना का नाम	**Amount of Arrears of Grants payable to Zilla Panchayat upto 31-03-2013** दिनांक 31.03.2013 तक जिला पंचायत को देय अनुदान की बकाया राशि	**Yearwise Breakup of arrears of Grants to Panchayati Raj Instituions** अनुदान की बकाया राशि की जानकारी	**Remarks (if any)** अभ्यूक्ति (यदि कोई हो)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

प्रपत्र - X.

31.03.2013 को बैंक खाते मे जमा शासकीय राशि

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(₹ वास्तविक राशि)

विभाग का नाम तथा बजट नियंत्रण अधिकारी का पदनाम	31.03.2012 की स्थिति मे बैंक खाते मे जमा कुल शासकीय राशि (*)	वर्ष 2012–13 के दौरान वित्त निर्देश–41/2012. दिनांक 12.06.2012 के अनुपालन मे राजस्व शीर्ष मे जमा की गई राशि		वर्ष 2012–13 के दौरान वित्त निर्देश–41/2012. दिनांक 12.06.2012 के अनुपालन मे 8443 **k-Deposit** शीर्ष मे जमा की गई राशि			31.03.2013 की स्थिति मे बैंक खाते मे जमा कुल शासकीय राशि
		मुख्य शीर्ष	राशि	राशि	वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर 8443 से विभाग द्वारा आहरित राशि	8443 मे 31.03.2013 को बकाया राशि	

(*) The amount kept in the bank account of DDO, Other Government Officers(Principal, Headmaster etc wherever applicable) as on 31-03-2013 may be compiled and certified by Budget controlling officer and the total amount may be shown in this column.

Signature of Head of Department
Phone No. and Fax No.
Official Address

प्रपत्र–XI

पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

संस्था /निकाय /निगम/बोर्ड/अन्य का नाम जिसे सम्पत्ति निर्माण हेतु विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है	वर्ष 2012–13 में पूंजीगत संपत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित व्यय		व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी	यदि केन्द्र शासन से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु राशी प्राप्त हो तो इस कॉलम मे दर्शाये
	लेखाशीर्ष (मुख्यशीर्ष से विस्तृत शीर्ष तक)	वर्ष मे व्यय राशी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.पंचायती राज संस्थायें				
(i) जिला पंचायत				
(ii) जनपद पंचायत				
(iii) ग्राम पंचायत				
2. शहरी स्थानीय निकाय				
(i) नगर निगम				
(ii) नगर पालिकाएं				
(iii) नगर पंचायत				
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
(i) शासकीय कम्पनियॉ				
(ii) सांविधिक निगम				
4. स्वशासी निकायें				
(i) विश्वविद्यालय				
(ii) विकास प्राधिकारण				
(iii) सहकारी संस्थाएं				
(iv) अन्य				
5. अशासकीय संस्थाएं				
योग				

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम
कार्यालय का पता
दूरभाष कमांक
मोबाईल कमांक
फैक्स

टीप :– 1. बोर्ड, महाविघालय, मिशन इत्यादि को पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु दिये गये सहायता अनुदान सरल कमांक 4 (iv) के समक्ष दर्शाये ।

2. यदि पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है तो केन्द्र शासन से प्राप्त राशि की जानकारी स्तम कमांक 5 मे दर्शाये।

नियमित कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी
(दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में)

पदनाम	श्रेणी वर्ग–1, 2, 3, 4	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारी की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
कुल–	–		

टीप :– 1) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या स्तम्ब क्रमांक 04 में दर्शायी जावे। यदि दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में जिस दिनांक की स्थिति में जानकारी उपलब्ध हो, वह दिनांक दर्शाते हुए जानकारी देवें।

2) केवल वेतन मद (01–वेतन भत्ते आदि) से आहरित कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी सम्मिलित करें।

प्रपत्र–V से X की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका

प्रपत्र–V– आफ बजट दायित्वो (Details of off budget liabiliies)– इस category में राज्य शासन के ऐसे सव्यवहार को सम्मिलित किया जाना है जहॉ शासन द्वारा कार्पोरेशन/कम्पनियों को किसी राशि का भुगतान किया जाना था किन्तु तत्समय विपरीत वित्तीय परिस्थितिवंश भुगतान नहीं किया गया है, एव इसके ऐवज में राज्य शासन द्वारा उन कार्पोरेशन/निगमों को दीर्ध कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किया गया है एवं राज्य शासन द्वारा बंध पत्र की निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किया जाता है। – उदाहरण– राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत subsidy प्रदान की जाती है। यदि राज्य शासन द्वारा नगद में Subsidy प्रदान न किया जा कर राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को दीर्ध कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किये जाते है तो ऐसे संव्यवहारों को off budget liabilities के रूप में दर्शाना जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न तेल कम्पनियों एवं उर्वरक कम्पनियों को देय सबसिडी के रूप में जारी किये गये बान्ड off budget liabilities के अन्तर्गत आता है।

प्रपत्र–VI– Funds operated outside Government Accounts – इस जानकारी में राज्य शासन के अन्तर्गत कार्यरत नियामक आयोग/अभिकरण/संस्थाएं द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व (जैसे फीस, जुर्माना आदि) जो उनके गठन संबंधी अधिसूचना/अध्यादेश अनुसार राज्य सरकार के खाते में जमा कराये जाने थे किन्तु जमा नहीं कराये गये है ऐसी जानकारी सम्मिलित किया जाना है।

प्रपत्र–VII– कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशि (Arrears of tax and non tax revenue)–इस जानकारी के अंतर्गत कर एवं राजस्व की बकाया राशि (विवादित एवं अविवादित) का विवरण संम्मिलित किया जाना है।

प्रपत्र–VIII– 31 मार्च 2013 की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दायित्व (Liablitiy on account of Unpaid bills)–इस जानकारी के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा 31.03.2013 की स्थिति में निर्माण कार्यो एवं प्रदाय सामग्री देयको का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न दायित्व की जानकारी सम्मिलित की जानी है।

प्रपत्र–IX– पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान–इस जानकारी के अंतर्गत पंचायती राज सस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देय अनुदान की बकाया राशि संम्मिलित की जानी है। वर्ष के अन्त में यदि पर्याप्त बजट के अभाव में किसी चालू वर्ष में किये जाने वाले व्यय को आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी बकाया राशियों को भी संम्मिलित किया जावे। उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का हिस्सा जिला पंचायतों को भुगतान किया जाता है। यदि राज्य शासन के हिस्सा का भुगतान पर्याप्त बजट के अभाव में उसी वित्तीय लेखा वर्ष में न किया जाकर आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशियों को पंचायती राज सस्थाओं को देय बकाया अनुदान के रूप में संम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन को प्राप्त ख़निज रायल्टी एवं भूमि पंजीकरण राशि से पंचायतो को देय अनुदान की दिनांक 31.03.2013 तक की बकाया राशि भी शामिल होगी।

पृ.क्र.. 2

प्रपत्र–X– दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशि–इस प्रारुप की जानकारी में 31.3.2013 की स्थिति में विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किसी राज्य आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्र क्षेत्रीय योजना इत्यादि के कियान्वयन हेतु कोषालय से धन आहरित कर अपने पदनाम से खोले गये खाते में जमा की गयी राशि की जानकारी सम्मिलित किया जाना है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरण पश्चात् संबंधितों को भुगतान किये जाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (प्रिंसिपल/हेडमास्टर इत्यादि) के खाते में राशि जमा कराई जाती है तो उन कर्मचारी/अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में 31.3.2013 की स्थिति में जमा की राशि की जानकारी भी सम्मिलित किया जावे।

इस में राज्य की संचित निधि से आहरित धनराशि सम्मिलित किया जावे तथा किसी बोर्ड अथवा अन्य कियान्वयन ऐजन्सी से प्राप्त राशि को सम्मिलित नहीं किया जावे।

जानकारी विभागवार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागीय अधिकारी से प्राप्त कर वांछित जानकारी सत्यापित कर समेकित जानकारी इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें। **कृपया डी.डी.ओ. वार पृथक पृथक प्रारुप/जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित नही करे**

प्रपत्र कमांक–IV की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका एवं नमूना प्रपत्र

I Accounts Payable

स्तम्भ कमांक–2

स्तम्भ कमांक 2 में निम्नलिखित दायित्व दर्शायी जावे।

(1) आयोजनेत्तर वेतन
(2) ब्याज का भुगतान (6003–आंतरिक ऋण) **(वित्त विभाग से संबंधित)**
(3) Accrued Debt **(वित्त विभाग से संबंधित)**
(4) भुगतान हेतु बकाया बिल

स्तम्भ कमांक 3 (प्लान)

इस स्तम्भ में जानकारी *निरंक* दर्शाये जावे।

स्तम्भ कमांक 4 (आयोजनेत्तर)

1) **आयोजनेत्तर वेतन** :– वर्ष 2012–13 के वास्तविक आयोजनेत्तर वेतन व्यय तथा वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के अनुमानित आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।

2) **ब्याज के भुगतान** :– वर्ष 2012–13 में आन्तरिक ऋणो से संबंधित ऋणों पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज की राशि तथा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 पर किये जाने वाले ब्याज भुगतान की व्यय की राशि वर्ष वार दर्शाये जावे।

3) **भुगतान हेतु बकाया बिलो की जानकारी** :– इस मद हेतु दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में आयोजनेत्तर मद से भुगतान हेतु बकाया बिलो की राशि दर्शाए।

4) **Accrued Debt** :– Accrued Debt से आशय ऐसे ऋणों से है जिसका पुनर्भगुतान किया जा रहा है किन्तु ऋण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 6003 के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई ऋण है तो स्तम्भ कमांक 4 में दर्शाए।

स्तम्भ कमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ कमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रतिबद्धित दायित्व की राशि का भुगतान के स्त्रोत की जानकारी स्तम्भ कमांक 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 8 :

कालम नम्बर 4 में दर्शाए गए आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व तथा ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु 2013–14 से 2015–16 दर्शावे, भुगतान हेतु बकाया बिलो के दायित्व हेतु 2013–14 दर्शावे, Accrued Debt के दायित्व हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान का अंतिम वर्ष दर्शाया जावे।

स्तम्भ कमांक 9 :

1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु वर्ष 2012–13 में भुगतान किये गये आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि दर्शायी जावे।
2) भुगतान हेतु बकाया बिलो के दायित्व हेतु निरंक दर्शायी जावे।
3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु वर्ष 2012–13 में भुगतान किये गये आंतरिक ऋण पर ब्याज की राशि दर्शायी वर्ष वार जावे।
4) Accrued Debt के दायित्व हेतु वर्ष 2012–13 में भुगतान किये गये पुनर्भुगतान की राशि वर्ष वार दशायी जावे।

स्तम्भ कमांक 10 :

1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

2) भुगतान हेतु बकाया बिलो के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि ही दर्शाये जावे।

3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।

4) Accrued Debt के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

II केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश की जानकारी

स्तम्भ कमांक 2 :

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जिसमें राज्यांश विमुक्त किया जाना था किन्तु विमुक्त न किया गया हो ऐसे योजनाओं का नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ कमांक 3 :

स्तम्भ कमांक 2 में दर्शायी गयी योजनाओ में दिनांक 31.03.2013 को विमुक्ती हेतु बकाया राज्यांश की राशि दर्शावे।

स्तम्भ कमांक 4 :

स्तम्भ कमांकं 4 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ कमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ नम्बर 3 में दर्शाये गये राज्यांश की राशि का भुगतान के स्त्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5,6 एवं 7 में तद्नुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 8 :

स्तम्भ कमांक 3 में दर्शायी गयी राशि का भुगतान किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 9 :

स्तम्भ कमांक 9 में निरंक दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 10 :

स्तम्भ कमांक 10 में स्तम्भ कमांक 3 की राशि दर्शायी जावे।

III आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित योजना के उत्तरदायित्व

सामान्यतः पंचवर्षीय योजना काल के पूर्ण होने पर केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना इत्यादि को आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरण किये जाने के फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के संचालन का दायित्वों राज्य शासन पर उत्पन्न होता है। यदि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012–13 में कोई योजना को आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानांतरित किया गया है, तो उन योजनाओं की जानकारी इस वर्ग में उपलब्ध कराई जावे।

11 वी पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न समर्पित आयोजनेत्तर व्यय

योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में व्यय के वर्गीकरण से संबंधित निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रकृति के व्ययों को प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय (Committed Non Plan Expenditure) माना जाना चाहिए :–

1) समस्त विकास योजनाएं जो दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण हुए है उनके संचालन एवं अनुरक्षण व्यय को आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।

2) यदि कोई विकास योजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में पूर्ण नहीं होती है एवं उस योजनां को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाता है एवं इस योजना से यदि कोई आस्तियॉ निर्मित किये जाते है अथवा कोई सेवाएं स्थापित किये जाते है तो उन आस्तियों एवं सेवाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये जाने वाले व्यय को 12 वीं योजना काल में प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।

3) यदि कोई कार्यकम/योजना/गतिविधि चरणबद्ध रूप में कियान्वयन किया जाता है तो पूर्ण हुए चरण में कार्यरत मैदानी अमला (Field Staff) तथा मुख्यालय अमला के व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।

4) समस्त विध्यमान संस्थाएं एवं स्थापनाओ के अनुरक्षण संबंधी व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।

5) स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति इत्यादि क्षेत्र में ऐसी योजनाएं जो आवर्ति प्रकृति की है उन योजनाओ में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो वर्ष 2012–13 में उत्पन्न होना संभावित है तदापि वर्ष 2012–13 में उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो हेतु खोली गई आयोजनेत्तर योजनाएं एवं वर्ष 2012–13 में आयोजना मद से आयोजनेत्तर में स्थानांतरित योजना से उत्पन व्यय दायित्व का योजनावार जानकारी इस वर्ग के अन्तर्गत दर्शाए। संबंधित योजना का नाम स्तम्भ कमांक 2 में दर्शाए, स्तम्भ कमांक 3 में *निरंक* दर्शाए, कालम नम्बर 4 में इस योजना के वर्ष 2012–13 के वास्तविक व्यय तथा आगामी तीन वर्षो में (अर्थात 2013–14, 2014–15, 2015–16) में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को वर्षवार दर्शाए। कालम कमांक 5, 6 एवं 7 में संबंधित व्यय स्त्रोत की जानकारी देवे। कालम कमांक 8 में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 दर्शावे। कालम कमांक 9 में 2012–13 का वास्तविक व्यय दर्शाए। कालम कमांक 10 में कालम 4 एवं कालम 9 के अंतर की राशि दर्शावे।

IV अपूर्ण परियोजनाओं में उत्पन्न दायित्व की राशि :

स्तम्भ कमांक 2 :

दिनांक 31.03.2013 को अपूर्ण परियोजनाओं के नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ कमांक 3 एवं 4 :

स्तम्भ कमांक 2 में दर्शायी गयी परियोजनाओ पर परियोजनाओं की समाप्ति तक किये जाने वाले प्रतिबद्ध व्यय की राशि दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 5, 6 एवं 7 :

कालम नम्बर 3 एवं 4 में वर्णित अपूर्ण परियोजनाओ की राशि का भुगतान के स्त्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5,6 एवं 7 में तद्नुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ कमांक 8 :

परियोजना के पूर्ण होने तक के संभावित व्यय किन वर्षो तक किया जावेगा दर्शाये।

स्तम्भ कमांक 9 :

स्तम्भ कमांक 9 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ कमांक 10 :

स्तम्भ कमांक 10 में स्तम्भ कमांक 3 एवं 4 में दर्शायी गयी राशि दर्शायी जावे।

नमूना प्रपत्र

Statement on Committed Liabilities of the State in future

(As on 31-03-2013)

Figures in actual

Sl.No.	Nature of the Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabili-ties discha-rge during the year	Balance remaining (Total of 4 less 9)
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Accounts Payable								
	Salary					--			
	2012-13		1000						
	2013-14		2000	कृपया मार्गदर्शिका I के स्तम्भ कमांक 5,6,7 में वर्णित दिशानिर्देशानुसार जानकारी भरें।					
	2014-15		3000						
	2015-16		4000				2013-2016	1000	9000
	Interest Payment								
	2012-13		5000	वित्त विभाग से संबंधित			2013-16	5000	21000
	2013-14		6000						
	2014-15		7000						
	2015-16		8000						
	Total								
	Bills pending for payment on 31-03-2013		5000				2013-14	--	5000
	Accrued Debt	वित्त विभाग से संबंधित							
II	**State's Share in Centrally Sponsored Scheme**								
1.	Mention the name of the scheme in which the state share has not been released	100000	--				2013-14	--	100000
	Total								

Sl.No	Nature of the Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabili-ties discharge during the year	Balance remaining (Total of 4 less 9)
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
III	Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads								
	कृपया संलग्न मार्गदर्शिका के सरल क्रमांकiii मे वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जानकारी दी जावे								
	Total								
IV	Liabilities arising from Incomplete Projects								
	कृपया संलग्न मार्गदर्शिका के सरल क्रमांक iv मे वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जानकारी दी जावे								
	Total								
V	Others/Miscellaneous								
1.									
2.									
3.									
4.									
Grand Total									

विभागवार बजट नियंत्रण अधिकारीयो की सुची	
विभाग का नाम	बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम
कृषि विभाग	1. संचालक कृषि विभाग 2. सचिव कृषि विभाग 3. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
गृह विभाग	1. प्रधान सेनानी, नगर सेना 2. सचिव गृह विभाग 3. संचालक सैनिक कल्याण 4. संचालक, लोक अभियोजन 5. संचालक, संपदा संचालनालय 6. महानिदेशक, पुलिस 7. संचालक विधि विज्ञान प्रयोगशाला
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1. सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग 2. पजीयक उच्च न्यायालय
पशुपालन विभाग	1. संचालक, पशुपालन सेवाएं
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग	1. संचालक चिकित्सा सेवाऐं 2. संचालक लोक स्वास्थ एव परिवार कल्याण
संचालक समाज कल्याण	1. संचालक, समाज कल्याण
संस्कृति विभाग	1. संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति विभाग 2. आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्राहलय
पर्यटन विभाग	1. संचालक, पर्यटन विभाग
आदिम जाति कल्याण विभाग	1. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान 2. आयुक्त, आदिवासी विकास
ग्रामोद्योग विभाग	1. संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरधा) 2. आयुक्त रेशम
आवाय तथा पर्यावरण विभाग	1. सचिव, छत्तीसगढ शासन आवास तथा पर्यावरण विभाग 2. संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश
राजस्व विभाग	1. सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ 2. सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग 3. आयुक्त भू – अभिलेख, भू – परिमाप एवं बंदोबस्त 4. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ
नगरीय प्रशासन एवं विकास	1. संचालक नगर प्रशासन
उच्च शिक्षा विभाग	1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर
वन विभाग	1. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन, 2. मुख्य वन संरक्षक, विकास आयोजना 3. मुख्य वन संरक्षक, बजट एवं लेखा आयोजनेत्तर
श्रम विभाग	1. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाए

	2. आयुक्त, श्रम विभाग 3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय
योजना आर्थिक एवं सांख्सिकि विभाग	1. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी 2. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग
जनशक्ति नियोजन विभाग	1. संचालक, तकनीकी शिक्षा, 2. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, 2. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण 2. विकास आयुक्त, विकास भवन
लोक निर्माण विभाग	1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
आयकट विभाग	1. सचिव, आयकट विभाग,
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	1. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
लोक स्वास्थ एवं यांत्रिकी विभाग	1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थान यांत्रिकी विभाग
स्कुल शिक्षा विभाग	1. आयुक्त, लोक शिक्षण विभाग, 2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 3. संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, (एन. सी. सी.)
जल संसाधन विभाग	1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
महिला एवं बाल विकास विभाग	1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय 2. मुख्य निरीक्षक बाष्प यंत्र 3. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं
विज्ञान और टेक्नालाजी	1. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग	1. संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग 2. नियंत्रक, नाप – तौल विभाग, छत्तीसगढ
मछली पालन विभाग	1. संचालक, मत्स्योद्योग,
परिवहन विभाग	1. आयुक्त, परिवहन विभाग 2. अधीक्षक, स्टैट गैरिज
विमानन विभाग	1. संचालक / आयुक्त, विमानन विभाग
जन संपर्क	1. संचालक, जन संपर्क विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग	1. माननीय राज्यपाल के सचिव / सैनिक सचिव 2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 3. सत्कार अधिकारी, छत्तीसगढ शासन 4. आयुक्त, छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली

	5. महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो 6. सचिव, लोक सेवा आयोग 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी 8. सचिव, लोक आयोग
जेल विभाग	1. महानिदेशक, जेल विभाग
भौमिकी तथा खनिकर्म, विभाग	1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म,
उर्जा विभाग	1. सचिव, उर्जा विभाग 2. अधीक्षण अभियन्ता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
सहकारिता विभाग	1. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं
सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1. सचिव, सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
वणिज्यिक कर विभाग	1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक 2. आयुक्त, आबकारी, छत्तीसगढ 3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
वित्त विभाग	1. सचिव, वित्त विभाग 2. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन 3. संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज् 4. संचालक, संस्थागत वित्त 5. संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वित्त विभाग 6. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा 7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय 8. सचिव, राज्य वित्त आयोग, छ.ग
संसदीय कार्य विभाग	1. सचिव, छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय 2. सचिव, छत्तीसगढ शासन, संसदीय कार्य विभाग
पुनर्वास विभाग	1. आयुक्त, राहत एवं पुर्नवास,
धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग	1. सचिव, छत्तीसगढ धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग